प्रकरण संख्या 11/2025
अनवान गुड्डी देवी वगैरा बनाम भूप सिह वगैरा

पत्रावली प्रार्थीगण के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 5, 7 ता 9 ने जवाब दावा पेश किया। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 व 6 जरिये अधिवक्ता स्वंय हाजिर आये व राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृति का कथन किया राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावजों व तहसीलदार संगरिया के पत्रांक 1152 दिनांक 03.04.2025 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट एवं प्रार्थी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र मय राजीनामा का भली–भांति अवलोकन किये जाने पर प्रार्थीगण की चक 5 पीटीपी खाता संख्या 20/11 में दर्ज भूमि को कृशि कार्य के लिये आने जाने के लिये अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि मे से बिना कोई प्रतिफल के रास्ता स्वीकृत करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है इसलिए राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251 (।) एवं राजस्थान का तकारी (सरकारी नियम–1955 के नियम–68 से 70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 5 पीटीपी के प.न. 142/132 मु.न. 34 किला नं. 15,16,25 मे पूर्वी दिशा किला नम्बर 11,20,21 से चिपता उतर से दक्षिण लम्बा 0.013 है. प्रत्येक में रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि यदि राज्य हित प्रभावित नही हो तो उक्त मंजूरशुदा रास्ता का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकन किया जावें। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.8.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया